

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख की तामील में जारी हुए
17-5-19	<p>तहसीलदार डूंगला द्वारा प्रस्ताव प्रेषित कर अवगत कराया कि जमाबन्दी सेग्रीगेशन सम्बत् 2076 से 2079 में ग्राम नाडाखेडा के खाता संख्या 232 एवं खाता संख्या 252 का हिस्सा मिलान नहीं होने से खाता अपवादित खाते में धल रहा है। जिसका विवरण इस प्रकार से है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ग्राम नाडाखेडा की जमाबन्दी रोटेशन सम्बत् 2072 से 2075 में खाता संख्या 222 में आ0न0 558, 559, 560, 561, 562, 1156/563, कुल किता 6 कुल रकबा 72 बिघा 12 बिस्वा श्री रामलाल, बालु, कालु पिता गेरू, कालु पिता ऊंकार, दल्लीचन्द्र पिता भेरा 1/4 रामेश्वर पिता नारायण 1/8 भैरूलाल पिता श्यामा, सवागी बेवा श्यामा 1/8, वेणीराम पिता प्रथू मु0 ख्याली बेवा प्रथू प्यारा पिता उदयराम 2/16, भैरूलाल पिता भूरा, गटूबाई बेवा भूरा 1/16, पारसबाई पत्नि जमनालाल 1/16, कालु पिता डालू मु0 रामी बेवा हरलाल 2/24, भैरूलाल पिता चैना उर्फ चुना 1/24 सा0 देह हीरालाल पिता भेरा कुल्मी 1/24 सा0 भूतखेड़ा कालुलाल पिता ऊंकार 1/24, छोगालाल पिता डालू जाट 1/24 सा0 देह के नाम रिकॉर्ड दर्ज है। 2. ग्राम नाडाखेडा की जमाबन्दी खाता संख्या 227 में आराजी नम्बर 547,584 कुल किता 2 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा श्री रामा, बालु, कालु पिता गेरू कालु पिता ऊंकार दल्लीचन्द्र पिता भैरा 1/3, वेणीराम पिता प्रथु ख्याली बेवा प्रथु प्यारा पिता उदयराम 2/6, भैरूलाल पिता भूरा गटूबाई बेवा भूरा 1/6, पारसबाई पत्नि जमनालाल जाट 1/6 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। 3. ग्राम नाडाखेडा के नामान्तरण संख्या 1096 दिनांक 16.12.2015 डिक्री आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगला के प्रकरण संख्या 17/2010 के अनुसार विभाजन से खाता संख्या 222 की आराजी नम्बर 558, 559, 560, 561, 562, 1156/563 किता 6 रकबा 72 बीघा 16 बिस्वा इस प्रकार से दर्ज हुआ है - <ol style="list-style-type: none"> (i) आराजी नम्बर 558/3, 559/3, 560/2, 560/8, 560/5 कुल किता 5 रकबा 10 बिघा 1 बिस्वा श्री कालु पिता ऊंकार जाट सा0 देह के नाम दर्ज हुई है (ii) आराजी नम्बर 558/4, 560/4, 560/7, 562/1 कुल किता 4 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा श्री दल्लीचन्द्र पिता भेरा जाट सा0 देह के नाम दर्ज हुई है। (iii) आराजी नम्बर 558/1, 560/6 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बिघा 15 बिस्वा श्री रामा, बालु, कालु पिता गेरू जाट 	

सा० देह के नाम दर्ज हुई है।

(iv) आराजी नम्बर 558/2, 559/1, 560/1 कुल किता 3 रकबा 3 बिघा श्री हीरालाल पिता भैरा कुल्मी सा० भूतखेड़ा के नाम दर्ज हुई है।

(v) आराजी नम्बर 559/2, 559/4, 560/3, 560/9, 561, 562/2, 1156/563 कुल किता 7 रकबा 47 बीघा 14 बिस्वा भूमि में श्री रामेश्वर पिता नारायण 1/8 भेरूलाल पिता श्यामा, सवागी बेवा श्यामा 1/8 वेणीराम पिता प्रथु, ख्याली बेवा प्रथु 3/48 भेरूलाल पिता भूरा, गटूबाई बेवा भूरा 3/48 प्यारा पिता उदयराम 3/48 पारसबाई पत्नि जमनालाल 1/16 छोगा, कालु पिता डालू, रामी बेवा हरलाल 3/16, भेरूलाल पिता चुना 1/16 के नाम दर्ज हुई।

कॉलम संख्या (V) में दर्ज हुई खातेदारों के हिस्सा को जोड़ने पर कुल हिस्सा 3/4 होता है इसके मुकाबले 1/4 हिस्सा कम दर्ज हुआ है जिस कारण खाता अपवादित में चल रहा है।

जमाबन्दी खाता संख्या 227 में आराजी नम्बर 547, 584, कुल किता 2 कुल रकबा 12 बिघा 10 बिस्वा का विभाजन से इस प्रकार दर्ज हुआ है :-

1. आराजी नम्बर 584/2 रकबा 3 बिघा 2 बिस्वा श्री रामा, बालू, कालु पिता गेरू जाट सा० देह के नाम दर्ज हुआ है।
2. आराजी नम्बर 547, 584/1, कुल किता 2 कुल रकबा 9 बिघा 8 बिस्वा श्री वेणीराम पिता प्रथु मु० ख्याली बेवा प्रथु 1/6 भेरूलाल पिता भूरा, गटूबाई बेवा भूरा 1/6, प्यारा पिता उदयराम 1/6 पारसबाई पत्नि जमनालाल जाट 1/6 के नाम दर्ज हुआ है।

कॉलम संख्या (2) में दर्ज हुई खातेदारों को हिस्सा के जोड़ने पर 2/3 बनता है इसके मुकाबले 1/3 हिस्सा कम दर्ज हुआ है जिस कारण खाता अपवादित में चल रहा है।

तहसीदार डूंगला प्रेषित प्रस्ताव, अभिशंषा व राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर परीक्षण किया गया बाद परीक्षण प्रस्ताव राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निस्तारण हेतु सही पाया गया है। आराजी संख्या 559/2, 559/4, 560/3, 560/9, 561, 562/2, 1156/563 कुल किता 7 रकबा 47 बिघा 14 बिस्वा में श्री रामेश्वर पिता नारायण 1/6 भेरूलाल पिता श्यामा, सवागी बेवा श्यामा 1/6 वेणीराम पिता प्रथु, ख्याली बेवा प्रथु 1/12 भेरूलाल पिता भूरा, गटूबाई बेवा भूरा 1/12 प्यारा पिता उदयराम 1/12 पारसबाई पत्नि जमनालाल 1/12 छोगा, कालु पिता डालू रामी बेवा हरलाल 1/4 भेरूलाल पिता चुना 1/12 व आराजी नम्बर 547, 584/1, कुल किता 2 रकबा 9 बिघा 8 बिस्वा श्री वेणीराम पिता प्रथु, ख्याली बेवा प्रथु 1/4 भेरूलाल पिता भूरा, गटूबाई बेवा भूरा 1/4, प्यारा पिता उदयराम 1/4 पारसबाई पत्नि जमनालाल 1/4 के नाम हिस्सा दर्ज करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावे। इसी आशय का आदेश पृथक से जारी हों। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपरखण्ड अधिकारी
डूंगला